Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 177-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, OCTOBER 17, 2025 (ASVINA 25, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 17 अक्तूबर, 2025

संख्या 7/31/2014–3ए०आर०.– हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उप–धारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा), अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए०आर०, दिनांक 4 जुलाई, 2025 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :–

संशोधन

हरियाणा सरकार, सामान्य प्रशासन विभाग (प्रशासकीय सुधार शाखा), अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए०आर०, दिनांक 4 जुलाई, 2025 में, अनुसूची में, खाना 3 तथा 4 के नीचे, क्रम संख्या 4 के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:–

3	4
''हरियाणा दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण।	01 दिन''।

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 17th October, 2025

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-section (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014), the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby makes the following amendment in the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms Branch), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 4th July, 2025, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, General Administration Department (Administrative Reforms Branch), notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 4th July, 2025, in the Schedule, under columns 3 and 4, against serial number 4 for the existing entries, the following entries shall be substituted, namely :-

3	4
"Shop Registration under Haryana Shops and Commercial Establishment Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958)	01 Day".

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

12177—C.S.—H.G.P., Pkl.

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 117-2025/Ext.] CHANDIGARH, FRIDAY, JULY 4, 2025 (ASADHA 13, 1947 SAKA)

हरियाणा सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग
(प्रशासकीय सुधार शाखा)

अधिसूचना

दिनांक 4 जुलाई, 2025

संख्या 7/31/2014–3ए०आर०.– हरियाणा सेवा का अधिकार अधिनियम, 2014 (2014 का 4) की धारा 3 की उपधारा (1) तथा (2) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/31/2014–3ए०आर०, दिनांक 15 फरवरी, 2016 की अनुसूची की क्रम संख्या 189 से 189घ तथा उनके सामने प्रविष्टियों के अधिक्रमण में, हरियाणा के राज्यपाल, आयोग की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट उक्त अधिनियम के अधीन श्रम विभाग की निम्नलिखित सेवाएं, समय सीमा, जिसके भीतर ये नागरिकों को उपलब्ध करवाई जानी हैं, पदाभिहित अधिकारी, प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी तथा द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी अधिसूचित करते हैं, अर्थात् :–

अनुसूची

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
1	श्रम विभाग	ठेका श्रम (विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के उपबंधों के अधीन ठेकेदारों के लिए मुख्य नियोक्ता की स्थापना और अनुज्ञप्ति का पंजीकरण	26 दिन	अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग
2	श्रम विभाग	कारखाना अधिनियम, 1948 के अधीन कारखाना विभाग से योजनाओं का अनुमोदन	45 दिन	अपर निदेशक एवं अपर मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
3	श्रम विभाग	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्दीय अधिनियम 63) के अधीन कारखाना लाईसेंस	45 दिन	अपर निदेशक एवं अपर मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	श्रम आयुक्त एवं मुख्य निरीक्षक कारखाना हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग
4	श्रम विभाग	पंजाब दुकानात तथा वाणिज्यिक प्रतिष्ठान अधिनियम, 1958 (1958 का पंजाब अधिनियम 15) के अधीन दुकान का पंजीकरण,— (क) अपने ग्राहक को जानों के लिए अमान्य (के.वाई.सी.) (ख) अपने ग्राहक को जानो के लिए मान्य (के.वाई.सी.)	 01 दिन 15 दिन	श्रम निरीक्षक	सहायक श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त
5	श्रम विभाग	ठेका श्रम (विनियम और उत्सादन) अधिनियम, 1970 (1970 का केन्द्रीय अधिनियम 37) के अधीन ठेकेदारों के अनुज्ञप्ति का नवीकरण	26 दिन	सम्बन्धित उप श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग
6	श्रम विभाग	कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का केन्द्रीय अधिनियम 63) के उपबंधों के अधीन कारखाना अनुज्ञप्ति का नवीकरण	45 दिन	अपर निदेशक एवं अपर मुख्य कारखाना निरीक्षक	श्रम आयुक्त एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक, हरियाणा	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग
7	श्रम विभाग	भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार (नियोजन तथा सेवा—शर्त विनियमन अधिनियम, 1996 (1996 का केन्द्रीय अधिनियम 27) के अधीन नियोजित प्रतिष्ठान का पंजीकरण	30 दिन	सहायक निदेशक (आई०एस०एंड एच०)/ उपनिदेशकए (आई०एस०एंड एच०)/सहायक निदेशक, आई० एच०/ उपनिदेशक, आई० एच० एंड संयुक्त निदेशक आई० एस०एंड एच०	श्रम आयुक्त	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग
8	श्रम विभाग	अन्तरराज्यिक प्रवासी कर्मकार (नियोजन का विनियमन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1979 (1979 का केन्दीय अधिनियम 30) के उपबंधों के अधीन मुख्य नियोक्ता की स्थापना का पंजीकरण	26 दिन	अपर श्रम आयुक्त	श्रम आयुक्त	प्रशासकीय सचिव, श्रम विभाग

क्रम संख्या	विभाग का नाम	सेवा का नाम	समय सीमा	पदाभिहित अधिकारी	प्रथम शिकायत निवारण प्राधिकारी	द्वितीय शिकायत निवारण प्राधिकारी
1	2	3	4	5	6	7
9	श्रम विभाग	हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (एच.बी.ओ.सी.डब्ल्यू.डब्ल्यू बोर्ड) के लाभार्थी के रूप में सन्निर्माण कर्मकारों का पंजीकरण / नवीकरण	30 दिन	राज्य के सभी पंजीयक अधिकरी	उप निदेशक, औद्योगिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड
10	श्रम विभाग	हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के अधीन लाभ प्रदान करना	90 दिन	सम्बन्धित उप निदेशक	संयुक्त सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड	श्रम आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा भवन तथा अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड

अनुराग रस्तोगी,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार।

HARYANA GOVERNMENT

GENERAL ADMINISTRATION DEPARTMENT
(ADMINISTRATIVE REFORMS BRANCH)

Notification

The 4th July, 2025

No.7/31/2014-3AR.— In exercise of the powers conferred under sub-sections (1) and (2) of section 3 of the Haryana Right to Service Act, 2014 (4 of 2014) and in supersession of serial numbers 189 to 189D and entries thereagainst of the Schedule to the Haryana Government, Administrative Reforms Department, notification No. 7/31/2014-3AR, dated the 15th February, 2016, the Governor of Haryana, on the recommendation of the Commission hereby notifies the following services, the time limit within which these are to be provided to citizens, the Designated Officers, First Grievances Redressal Authority and Second Grievances Redressal Authority of Labour Department under the said Act as specified in the Schedule given below, namely :-

Schedule

Serial Number	Name of the Department	Name of service	Time limit	Designated officer	First Grievances Redressal Authority	Second Grievances Redressal Authority
1	2	3	4	5	6	7
1	Labour Department	Registration of principal employer's establishment and license for contractors under provision of contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act 37 of 1970)	26 Days	Additional Labour Commissioner	Labour Commissioner	Administrative Secretary, Labour Department

Serial Number	**Name of the Department**	**Name of service**	**Time limit**	**Designated officer**	**First Grievances Redressal Authority**	**Second Grievances Redressal Authority**
1	2	3	4	5	6	7
2	Labour Department	Approvals of plans from Factories Department under the Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948)	45 Days	Additional Director- cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner -cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Administrative Secretary, Labour Department
3	Labour Department	Factories License under Factories Act, 1948 (Central Act 63 of 1948)	45 Days	Additional Director- cum-Addl. Chief Inspector of Factories, Haryana	Labour Commissioner -cum- Chief Inspector of Factories, Haryana	Administrative Secretary, Labour Department
4	Labour Department	Shop Registration under Punjab Shops and Commercial Establishment Act, 1958 (Punjab Act 15 of 1958) Invalid for Know Your Customer (KYC) Valid for Know Your Customer (KYC)	 01 Day 15 Days	Labour Inspector	Assistant Labour Commissioner	Labour Commissioner
5	Labour Department	Renewal of License for contractors under the provisions of the Contract Labour (Regulation and Abolition) Act, 1970 (Central Act 37 of 1970)	26 Days	Deputy Labour Commissioner concerned	Labour Commissioner	Administrative Secretary, Labour Department
6	Labour Department	Renewal of factory license under the provisions of the Factories Act, 1948 (Central Act, 63 of 1948)	45 Days	Additional Director-cum-Additional Chief Inspector of Factories Haryana	Labour Commissioner cum-Chief Inspector of Factories Haryana	Administrative Secretary, Labour Department
7	Labour Department	Registration of Establishment engaged in the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1996 (Central Act 27 of 1996)	30 Days	Assistant Director (IS&H)/ Deputy Director (IS&H)/ Assistant Director, IH/ Deputy Director IH & Joint Director IS&H	Labour Commissioner	Administrative Secretary, Labour Department

Serial Number	**Name of the Department**	**Name of service**	**Time limit**	**Designated officer**	**First Grievances Redressal Authority**	**Second Grievances Redressal Authority**
1	2	3	4	5	6	7
8	Labour Department	Registration of principal employer's establishment under the provisions of Inter-State Migrant Workmen (Regulation of Employment and Conditions of Service) Act, 1979 (Central Act 30 of 1979)	26 Days	Additional Labour Commissioner	Labour Commissioner	Administrative Secretary, Labour Department
9	Labour Department	Registration/Renewal of construction workers as beneficiary of Haryana Building and Other Construction Workers' Welfare Board (HBOCWW Board)	30 Days	All registering officers in the State	Deputy Director, IS&H	Joint Secretary, HBOCWW Board
10	Labour Department	Delivery of benefits under various Welfare Scheme of Haryana Building and Other Construction Workers' Welfare Board	90 Days	Concerned Deputy Director	Joint Secretary, HBOCWW Board	Labour Commissioner-cum-Secretary, HBOCWW Board

ANURAG RASTOGI,
Chief Secretary to Government, Haryana.

11959—C.S.—H.G.P., Pkl.